विविध बैंक प्रकरण संख्या 58/2021(GCMS : 2021/174) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. कर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी गांव 2 एम, फूसेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 2. धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी गांव 2 एम, फूसेवाला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण कर्मवीर एवं धर्मवीर द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कर्मवीर एवं धर्मवीर की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 01(क्षेत्रफल 153.75 वर्गफुट) वर्कशॉप एरिया, मिनी मायापुरी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण कर्मवीर एवं धर्मवीर के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में कर्मवीर एवं धर्मवीर की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 01(क्षेत्रफल 153.75 वर्गफुट) वर्कशॉप एरिया, मिनी मायापुरी, पुरानी आबादी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का का कथन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:38 IST
Reason: SelfAttested